

न्यायालय सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट

प्रकरण : संख्या-102/24 प्रा. 9

शीर्षक कावरीवाल / कावरीवाल

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
	<p>वि. सं. 4 के अधिका- उक्त पत्र का जवाब देना। जी. दिनांक 01/02/25 दिनांक विपक्षीय - उक्त पत्र का विपक्षीय एक दिन 04-02-25 की जमा ही</p>
	<p>सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द</p>
	<p>4-2-25</p> <p>कावरी / प्रतिवादी अधिका- उपखण्ड मजिस्ट्रेट अधिकारी राज काज भ्रमण / उपखण्ड मजिस्ट्रेट । पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 2-4-25 को पेश हो ।</p>
	<p>08.04.25: पत्रा. पेश हुई। अधि. पार्थी एवं अधि. वि. सं. 04 उप.। वि. सं. 1 से 3 एवं 5, 6 वावजूद तामील अनु. है अतः उक्त विपक्षीय के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया जाता है। अधि. वि. सं. 4 की तरफ से पूर्णतः उपस्थित रहने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं। अतः जवाब बंद किया जाता है। अधि. पार्थी एवं अधि. वि. सं. 4 की बृहस्प. सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णतः क्षति का विद्व. पार्थी के पक्ष में पाया गया। अतः पार्थी का प्रस्तुत प्रा. प्र. राम शर स्वीकार किया जाकर पार्थी के पक्ष में वि. सं. 1 से 6 के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक बन्ध आशय की अस्थायी निर्दिष्टा जारी की जाती है कि</p>

